www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 02.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी मामले में चण्डीगढ़ पुलिस के एक कर्मी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 5,000/- रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर पुलिस स्टेशन, सेक्टर-31, चण्डीगढ़ में कार्यरत प्रधान सिपाही को गिरफ्तार किया।

प्रधान सिपाही के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि उक्त पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता एवं उसके मित्र के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज हुई तथा प्रधान सिपाही, शिकायतकर्ता के घर कई बार गया। शिकायतकर्ता के साथ मुलाकत के दौरान, प्रधान सिपाही ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने के लिए के लिए 20,000 रू. की घूस की माँग की एवं धमकाया कि घूस की राशि न देने की दशा में,उन्हे गिरफ्तार कर लेगा। बातचीत के पश्चात, आरोपी पहली किस्त के तौर पर 5000/- रू. स्वीकार करने को सहमत हुआ।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं प्रधान सिपाही को शिकायतकर्ता से 5000/-रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के कार्यालय एवं आवास पर तलाशी की गयी जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****